

# उत्तराखण्ड सरकार



उत्तराखण्ड शासन

वृत्त का नाम :- सिविल वृत्त लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग

खण्ड का नाम :- प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० रुद्रप्रयाग

## वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

### कार्य का नाम

जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत तोलब से पांटी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1.00 किमी०।

### क्षेत्रफल :-

वन पंचायत भूमि	-	0.6300 हेक्टेयर
सिविल सोयम वन भूमि	-	0.0000 हेक्टेयर
आरक्षित वन भूमि	-	0.0000 हेक्टेयर
नाप भूमि	-	0.0700 हेक्टेयर
<b>कुल क्षेत्रफल</b>	<b>-</b>	<b>0.700 हेक्टेयर</b>

वांछित क्षेत्रफल- 0.6300 हेक्टेयर

# वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

के अन्तर्गत भारत सरकार,  
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की  
स्वीकृति प्राप्त करने हेतु वन  
भूमि

हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित करने  
के प्रपत्र / प्रमाण पत्र

## चैक लिस्ट

परियोजना का नाम:-		जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत तोलब से पांदा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1.00 किमी०	
क्र.सं	प्रस्ताव का नाम	पेज न०	टिप्पणी
<b>1. मुख्य सलंगनक</b>			
1.1	सक्षक अधिकारी / आन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी / कर्मचारी का प्रमाण पत्र।	1	
1.2	सर्वे ऑफ इण्डिया टोपोशीट मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण वन क्षेत्र को दर्शाया गया हो।	2	
1.3	मैप जिसमें टोपोशीट पर प्रस्तावित क्षेत्र को जी०पी०एस० के साथ दिखाया गया हो।	3	
1.4	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	4	
1.5	प्रस्तावित कार्य हेतु वनभूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	5	
1.6	जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त वन अधिकारी अधिनियम 2006 का प्रमाण-पत्र मय सलंगनों के (नये प्रारूप में)	6	
1.7	प्रस्तावित परियोजना का 1:50,000 के पैमाने का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थान को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	—	
1.8	रंगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो तथा सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	—	
1.9	यदि प्रस्तावित कार्य हेतु गैर वनभूमि अथवा राजस्व वनभूमि की आवश्यकता हो तो भूमि धर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमिधर होने का प्रमाण-पत्र।	7	
1.10	भूमिधर एवं प्रयोक्ता एजेन्सी के बीच हुए करार (पी०डी०एफ०)	8	
1.11	विस्तृत लागत-लाभ-विश्लेषण प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।	—	
<b>2 अतिरिक्त सलंगनक</b>			
2.1	प्रस्ताव के बारे में विवरण एवं प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता।	9	
2.2	परियोजना हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।	10	
2.3	संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रयोक्ता एजेन्सी तथा वन विभाग एवं राजस्व विभाग के साथ)।	11	
2.4	वैकल्पिक संरेखणों को मानचित्र पर प्रदर्शित कर उनके निरस्ता किये जाने का औचित्य एवं कारण।	12	
2.5	जिलाधिकारी / प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वनभूमि की मांग न्यूनतम होने का प्रमाण-पत्र।	13	
2.6	प्रभावित वनभूमि का लैण्ड शैड्यूल (रिजर्व फारेस्ट में)	14	

	प्रभागीय वनाधिकारी तथा राजस्व भूमि में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)		
2.7	परियोजना की लम्बाई, चौड़ाई तथा कुल क्षेत्र हे0 में। भूमि विभिन्न वर्ग वाद आरक्षित, निजी वन, वन पंचायत, निजी भूमि आदि।	15	
2.8	परियोजना का भूमि उपयोग का बार-चार्ट (प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	16	
2.9	क्षतिपूरक, वृक्षारोपण परियोजना सिविल भूमि पर(10 वर्ष दरें)।	—	
2.10	क्षतिपूरक, वृक्षारोपण वनस्थल उपर्युक्ता प्रमाण-पत्र(प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा)।	—	
2.11	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण को बहन किये जाने का प्रमाण-पत्र(प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित)।	—	
2.12	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन।	17	
2.13	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण की धनराशि बहन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	18	
2.14	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त 100 वृक्षों के वृक्षारोपण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र(1 हे0 से कम में लागू)।	19	
2.15	परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची एवं उनके वैज्ञानिक नाम(सूची आरक्षित वनक्षेत्र, सिविल, वन पंचायत एवं निजी भूमि दोनो अलग-अलग बनायी जानी होगी)।	20	
2.16	बांज प्रजाति के वृक्षों के पातन हेतु वन संरक्षक की संस्तुति का प्रमाण पत्र।	21	
2.17	अगर वृक्षों का पातन नहीं होना है तो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र।	22	
2.18	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण पत्र।	23	
2.19	परियोजना के निर्माण से उत्पादित मलवा निस्तारण की योजना(निर्धारित प्रारूप में)।	24	
2.20	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण सम्बन्धी प्रमाण पत्र।	25	
2.21	यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के 10 किमी0 की परिधि में आता है, तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	—	
2.22	यदि प्रस्तावित परियोजना किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत आता है, तो ऐसे प्रकरणों में राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड, भारतीय वन्य जीव परिषद एवं मा0 उच्चतम न्यायालय की अनुमति।	—	
2.23	वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन न होने का प्रमाण-पत्र।	26	
2.24	आम-सभा का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	27	
2.25	प्रस्तावित परियोजना का ले-आउट प्लान एवं प्राक्कलन तथा सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा मय नाम एवं पद के साथ।	28	
2.26	अवयव के अनुसार निर्माणाधीन कार्यों का विवरण(यदि लागू हो तो)।	<del>29</del> -	

2.27	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण पत्र।	29	
2.28	भू-वैज्ञानिक की आख्या।	30	
2.29	टास्क-फोर्स रिपोर्ट।	31	
2.30	मानक शर्तों का विवरण।	32	
2.31	प्रस्तावक विभाग द्वारा मानक शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण-पत्र।	33	
2.32	टास्क-फोर्स एवं भू-वैज्ञानिक की शर्तों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र।	34	
2.33	धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का स्थल न होने का प्रमाण-पत्र।	35	
2.34	वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुंचाये जाने का प्रमाण-पत्र।	36	
2.35	परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त मिट्टी का तेल एवं रसोई गैस का प्रमाण-पत्र।	37	
2.36	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/परिवारों/जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र।	38	
2.37	एन0पी0वी0 की देयता का प्रमाण-पत्र।	39	
2.38	मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि की देयता का प्रमाण-पत्र।	40	
2.39	वनभूमि के लीज रेट का प्रमाण-पत्र।	—	
2.40	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र।	41	
2.41	आर0सी0सी0 पिलरों के सीमांकन का प्रमाण-पत्र।	42	
2.42	आर0सी0सी0 पिलरों के व्यय को वहन करने हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा दिया गया।	42	
2.43	क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर भूमि उपलब्ध न होने का मुख्य सचिव द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र(अगर लागू हो)	—	
2.44	चैक लिस्ट/फैक्ट शीट।	43	

## प्रतिवेदन

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड अगस्त्यमुनि में जिला योजना के अन्तर्गत तोलब से पांदी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 1.00 किमी०

इस मार्ग की स्वीकृति जिला योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग का पत्र संख्या 532/जिला योजना/अर्थ एवं संख्या/लो०नि०वि/2012-13, दिनांक 11.09.2012 लम्बाई 1.00 किमी० हेतु लागत रू० 12.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है (छाया प्रति संलग्न)।

यह मार्ग तिलबाड़ा-तोलब-मयकोटी एवं मालकोटी-डांगी-गुनाऊ हल्का वाहन मार्ग के किमी० 5 से प्रारम्भ होकर ग्राम पांदी तक जायेगी। मार्ग के निर्माण हो जाने से पांदी गांव को यातायात की संयोजकता उपलब्ध हो जायेगी। इस मार्ग के संरेखण में 0.6300 है० वन पंचायत भूमि, 0.0000 है० सिविल भूमि, 0.0000 है० आरक्षित वन भूमि एवं 0.0700 है० नाप भूमि पड़ती है। मार्ग के निर्माण होने पर उक्त गांव के साथ-साथ ही लगभग 50 की जनसंख्या लाभान्वित होगी। मार्ग के नव निर्माण हो जाने से इस क्षेत्र में स्थित अति दूरस्थ गांवों/तोकों को भी यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि सुविधाओं का लाभ मिलेगा तथा स्थानीय उत्पाद जैसे आलू, माल्टा, राजमा आदि को बाजार तक लाने में सुविधा होगी।

अतः मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित कर लोक निर्माण विभाग विभाग को हस्तान्तरण हेतु प्रस्तुत है।

भूमि का प्रकार-


वन पंचायत भूमि	-	0.6300 हेक्टेयर
सिविल सोयम वन भूमि	-	0.0000 हेक्टेयर
आरक्षित वन भूमि	-	0.0000 हेक्टेयर
नाप भूमि	-	0.0700 हेक्टेयर
कुल क्षेत्रफल	-	0.7000 हेक्टेयर

वांछित क्षेत्रफल - 0.6300 हेक्टेयर

उक्त प्रस्ताव के अन्य वांछित प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र संलग्न किये गये हैं। अतः लोक निर्माण विभाग को 0.6300 है० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।



कनिष्ठ अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग



सहायक अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग



अधिशासी अभियन्ता  
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०  
रुद्रप्रयाग